सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक—594 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026, दिनांक— 25—07—2026

सेवा में,

1. **अधिष्ठाता, वाणिज्य, विज्ञान एवं कला संकाय,**
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

2. **प्राचार्य / प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय :— उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में "भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ" की स्थापना के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या—564 / सत्तर—4—2026—70—4002(001) / 9 / 2025 दिनांक 23 जुलाई, 2026 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति—2020 में भारतीय ज्ञान परम्परा (Indian Knowledge Systems) को शिक्षा के विभिन्न स्तरो पर समावेशित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। भारत की समृद्ध बौद्धिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को शैक्षिक प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान परम्परा के प्रर्वतक एवं ज्ञान—विज्ञान के चिन्तकों के दर्शन के प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और ऐसे महाविद्यालयों, जिनकी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके है और जिनकी छात्र संख्या 5000 से अधिक है, में प्रवर्तक महापुरूषों के नाम से शोधपीठ की स्थापना की जानी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— यथोपरि।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— / तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त संकायाध्यक्ष, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या-564/सत्तर-4-2026-70-4002(001)/9/2025

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2026**

विषय:-उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में "भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ" की स्थापना के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय ज्ञान परम्परा (Indian Knowledge Systems) को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समावेशित किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत की समृद्ध बौद्धिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को शैक्षिक प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान परम्परा के प्रवर्तक एवं ज्ञान-विज्ञान के चिन्तकों के दर्शन के प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और ऐसे महाविद्यालयों, जिनकी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जिनकी छात्र संख्या 5000 से अधिक है, में प्रवर्तक महापुरुषों के नाम से शोधपीठ की स्थापना की जानी है।

2- भारतीय सभ्यता ने वेद, उपनिषद्, आयुर्वेद, योग, गणित, खगोल, व्याकरण, दर्शन और साहित्य जैसे अनेक क्षेत्रों में अद्वितीय ज्ञान विकसित किया है। इस वृहद ज्ञान संपदा को संरक्षित करने, पुनः अध्ययन करने और शोध के माध्यम से आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए शोध पीठों की स्थापना एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकता है।

इन शोध पीठों के द्वारा महान भारतीय आचार्यों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों तथा चिंतकों के योगदान का अनुसंधान, अभिलेखीकरण और प्रसार किया जायेगा। साथ ही छात्रों और शोधार्थियों की तार्किकता, वैज्ञानिकता और वैश्विक उपयोगिता के प्रति जागरूकता विकसित की जायेगी। इस पहल का व्यापक उद्देश्य भारतीय ज्ञान परम्परा को समकालीन शिक्षा में पुनर्स्थापित कर उसे विश्वस्तरीय अकादमिक संवाद का अंग बनाया जाना है।

3- भारतीय ज्ञान परम्परा (Indian Knowledge Systems) शोध पीठों की स्थापना के उद्देश्य निम्नवत हैं:-

1. भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण एवं संवर्धन-प्राचीन भारतीय दर्शन, साहित्य, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, कला, संस्कृति तथा अध्यात्म से जुड़े मूल ग्रंथों, अवधारणाओं और परम्पराओं का अध्ययन, शोध और प्रस्तुतिकरण।
2. महान भारतीय चिन्तकों और प्रवर्तकों की विचारधारा का प्रसार-वेद, उपनिषद्, रामायण-महाभारत, जैन-बौद्ध दर्शन, योग, आयुर्वेद, न्याय-वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा आदि परम्पराओं के प्रमुख आचार्यों और दार्शनिकों के विचारों का शैक्षिक संस्थानों में प्रचार-प्रसार।
3. भारतीय ज्ञान-विज्ञान में शोध को प्रोत्साहन-परम्परागत विज्ञान, प्राचीन गणित, खगोल, वास्तु, कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण ज्ञान, समाज व्यवस्था आदि विषयों पर उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना।
4. नई पीढ़ी को भारतीय बौद्धिक विरासत से जोड़ना-छात्रों और शोधार्थियों में भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति जिज्ञासा, गर्व और आत्मविश्वास विकसित करना।
5. पाठ्यक्रम विकास एवं अकादमिक गतिविधियां-शोधपीठ के माध्यम से सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, शोध परियोजनाएं, व्याख्यान मालाएं और विशिष्ट कार्यक्रम प्रारम्भ करना।
6. वैश्विक मंच पर भारतीय ज्ञान परम्परा को स्थापित करना-राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय शोध सहयोग और प्रकाशनों के माध्यम से भारतीय चिंतन की वैज्ञानिकता, तर्कसंगतता और प्रासंगिकता का प्रसार।
7. डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण का राष्ट्रीय महत्व-अनेक पाण्डुलिपियां, ग्रन्थ और दुर्लभ स्रोत नष्ट होने के कगार पर हैं। शोध पीठ इनके डिजिटल संरक्षण, संपादन, अनुवाद और प्रकाशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।
8. भारत सरकार की नई शिक्षा नीति (NEP-2020) में भारतीय ज्ञान प्रणाली के सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित किये जाने का बिंदु सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत परम्परागत चिकित्सा, पर्यावर्णीय ज्ञान, कृषि परम्पराएं, सांस्कृतिक अध्ययन आदि समाज के अनेक क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से सहायक हो सकते हैं। शोध पीठों के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर ऐसी विधाओं के माध्यम से समाज को लाभान्वित किया जा सकता है।

4- भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठों द्वारा निम्नांकित प्रमुख गतिविधियां संचालित की जाएँगी:-

1. **शोध परियोजनाएं-** पी.एच.डी./पोस्ट डाक्टरेट/स्नातकोत्तर/पांच वर्षीय स्नातक कार्यक्रम-Research (FYUP-Research) शोधार्थियों के लिए अनुदान, पारम्परिक विषयों पर अध्ययन।
2. **प्रकाशन कार्यक्रम**- शोध पुस्तकों, शोध पत्रों, अनुवादों, आलोचनात्मक संस्करणों का प्रकाशन। (इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड बुक नंबर (ISBN) और डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर (DOI) के साथ)
3. **शैक्षणिक आयोजन**- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वार्षिक स्मृति व्याख्यान, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण शिविर।

4. **डिजिटल पहल-** ओपन-एक्सेस, डिजिटल लाइब्रेरी, पाण्डुलिपि डिजिटलीकरण, आनलाइन कोर्सेज (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज-MOOCs), शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट IKS India पर पाण्डुलिपि/निष्कर्ष अपलोड करना।

5. शैक्षणिक कार्यक्रम- सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स, फैकल्टी डेवलपमेन्ट प्रोग्राम।

5- पात्रता एवं चयन के मानक- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शोध पीठ की स्थापना की पात्रता एवं चयन के निम्नवत मानक होंगे:-

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने चाहिए।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में वर्तमान छात्र संख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय यू.जी.सी. एक्ट, 1956 के 2(f)/12(B) की मान्यता प्राप्त हो।

6- शोध पीठ की स्थापना किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विभाग, केन्द्र या संकाय में की जाएगी।

7- शोध पीठ सामान्यतया 05 वर्ष के लिए स्थापित की जायेगी। 05 वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा के आधार पर उसके विस्तार पर निर्णय लिया जायेगा।

8- संगठनात्मक ढांचा-

(1) संचालन समिति-

- अध्यक्ष-सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति/सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य
- समन्वयक-शोध पीठ निदेशक
- 4-6 विषय विशेषज्ञ (भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृत, आयुर्वेद, विज्ञान आदि क्षेत्रों से) जिनके द्वारा उच्च साइटेशन (न्यूनतम-10 साइटेशन) उच्च इंडेक्स (H-index) वाले पेपर प्रकाशित किये हों
- वित्त अधिकारी, महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा नामित वित्त के प्रोफेसर
- वाह्य विशेषज्ञ (जिन महापुरुषों के नाम पर शोधपीठ स्थापित हुई है, उनके परम्परागत अनुयायी/संस्थान के प्रतिनिधि)

(2) **आन्तरिक ढांचा-**

- निदेशक/चेयर प्रोफेसर-वरिष्ठ विद्वान/प्रोफेसर इन प्रैक्टिस (PoP), 3-5 वर्षों का कार्यकाल
- शोध सहायक/फेलो (2-4)
- प्रोजेक्ट स्टाफ–डिजिटलीकरण विशेषज्ञ, डेटा इन्ट्री/आई.टी. सहायक
- कार्यालय स्टाफ-प्रशासनिक सहायक, लेखा सहायक

9- वित्त पोषण (Funding)-

एक शोधपीठ की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत 05 वर्षों के लिए एकमुश्त अधिकतम रू0 2.00 करोड (रू0 दो करोड मात्र) का अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृत अनुदान को सावधि बचत खाते में जमा किया जायेगा और उससे प्राप्त ब्याज का उपयोग भविष्य में 'शोध पीठ' की निरंतरता बनाए रखने के लिए किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, शोध पीठ के सुदृढ़ीकरण और इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR), दान

आदि स्रोतों से भी अनुदान जुटाया जा सकता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त धनराशि को उसी सावधि बचत खाते में जमा किया जाएगा।

शोध पीठ की स्थापना हेतु आवंटित धनराशि एकमुश्त प्रदान की जायेगी। संबंधित शोध पीठ द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण (जैसा कि प्रमुख गतिविधियों नामक शीर्षक में उल्लिखित है) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा प्रमुख गतिविधियों के उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक होने का प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा 'शोध पीठ' की गतिविधियों की जाँच की जा सकती है। यदि यह पाया जाता है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया है या उसका दुरुपयोग किया गया है, तो स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि शासन को वापस की जाएगी।

10- कार्य प्रणाली (Standard Operating Procedure)-

शोध पीठ की स्थापना हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगीः-

आवेदन की प्रकियाः- शोध पीठ की स्थापना हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे।

राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के इच्छुक विभाग या संकाय द्वारा एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रेषित किया जायेगा, जिसमें शोध पीठ से संबंधित समस्त घटकों का विस्तृत विवरण रहेगा। आवेदन करते समय 05 वर्ष की कार्ययोजना नीचे प्रस्तर-11 में अंकित तालिका-1 में विहित प्रारूप पर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें प्रमुख गतिविधियों/वार्षिक कार्ययोजना का निर्धारण प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली अनुमानित ब्याज के आधार पर करते हुए विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

प्राप्त समस्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें संयुक्त निदेशक/प्रोफेसर स्तर का एक अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। उक्त के अतिरिक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा 02 विषय विशेषज्ञों का नामांकन किया जायेगा। विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर उच्च साइटेशन (न्यूनतम-10 साइटेशन) उच्च इंडेक्स (H-index) वाले हों; समिति में वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक को अनिवार्य रूप से नामांकित किया जायेगा।

उक्त समिति द्वारा प्रस्तावों का विस्तृत रूप से परीक्षण करते हुए प्रस्ताव में उल्लिखित मदवार किये जाने वाले व्यय के संबंध में वित्त पोषण के संबंध में मदवार बजट आवंटन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

11- समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गए ऐसे प्रस्ताव के आधार पर शासन द्वारा शोधपीठ की स्वीकृति पर विचार कर शोधपीठ की स्वीकृति एवं अपेक्षित धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराई जायेगी। तत्क्रम में निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा उक्त धनराशि अपनी संस्तुति के आधार पर सम्बंधित संस्था को उपलब्ध करायी जाएगी। स्वीकृत अनुदान को संस्था द्वारा सावधि बचत खाते में जमा किया जायेगा तथा ऑडिट संबंधी समस्त कार्यवाही

सम्बन्धित शोधपीठ के निदेशक स्तर से पूर्ण कराई जायेगी और योजना से सम्बंधित लेखा-जोखा निदेशक, शोधपीठ स्तर पर रखा जायेगा। ऑडिट में यदि यह पाया जाता है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया है अथवा धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, तो पूरी धनराशि शासन को वापस की जाएगी।

तालिका-1

वर्ष	चयनित प्रमुख गतिविधियां	प्रक्रिया	धनराशि	आउटकम
1	2	3	4	5

12- उपर्युक्तानुसार 'उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ की स्थापना' योजना के क्रियान्वयन हेतु उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
MAHENDRA PRASAD AGRAWAL
Date: 23-07-2026 16:08:10

(एम0पी0 अग्रवाल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कुलपति , समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SARVESH KUMAR SINGH
Date: 23-07-2026
16:50:48

(सर्वेश कुमार सिंह)

विशेष सचिव।